रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, फरवरी 19—फरवरी 25, 2017, शनिवार/माघ 30—फाल्गुन 6, 1938
No. 5] NEW DELHI, FEBRUARY 19—FEBRUARY 25, 2017, SATURDAY/ MAGHA 30— PHALGUNA 6, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा उत्पादन विभाग)
(वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2017

का.नि.आ. 10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा वैमानिक क्वालिटी आश्वासन सेवा नियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

   (ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग), भारत सरकार अभिप्रेत है;

   (ग) "विभागीय प्रोन्नति समिति" और "विभागीय पुष्टि समिति" से इन नियमों के अधीन गठित ऐसी समितियाँ अभिप्रेत हैं जिनकी संरचना का ब्यौरा अनुसूची II में उल्लिखित है;

   (घ) "कर्तव्य पद" से अनुसूची I में सम्मिलित कोई स्थायी या अस्थायी पद अभिप्रेत है;

(ड) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(च) "श्रेणी" से अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई श्रेणी अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में है;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का अर्थ और लागू होना वह होगा जो प्रशिक्षण एवम् कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt (SCT) दिनांक 08 सितम्बर 1993 में अधिकथित है;

(ञ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा अभिप्रेत है;

(ट) "नियमित सेवा" से किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति हो जाने के पश्चात या तो आयोग के माध्यम से या सम्यक रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से दी गई सेवा अभिप्रेत है और इसमें तदर्थ नियुक्ति सम्मिलित नहीं होगी।

3. **सेवा की संरचना.**—रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा, अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट श्रेणियों के पदों से समाविष्ट एक संगठित समूह 'क' इंजीनियरिंग सेवा होगी।

4. **श्रेणी, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन.**—(1) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो अनुसूची -1 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात, विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(3) सरकार विभिन्न श्रेणियों की संख्या में ऐसी अस्थायी वृद्धि या कटौती कर सकेगी जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे।

(4) सरकार, आयोग के परामर्श से अनुसूची I में सम्मिलित पदों से भिन्न कोई पद सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से निकाल सकेगी।

(5) सरकार, आयोग के परामर्श से किसी ऐसे अधिकारी के , जिसका पद इस नियम के उप-नियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, सेवा की किसी समुचित श्रेणी में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसरण में अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में, जैसा वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी और उसकी वरिष्ठता नियत कर सकेगी।

5. **सेवा के सदस्य**:- (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्,-

(क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर नियमित आधार पर अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के कर्तव्य पद धारण कर रहे व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात, कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति, इस प्रकार उनके नियुक्त किए जाने की तारीख से;

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची-I में लागू सेवा की सुसंगत श्रेणी का सदस्य होगा परंतु जब वह उक्त पद पर नियुक्त या तो प्रोन्नति द्वारा या अनुसूची-I में उल्लिखित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाता है।

6. **आरंभिक गठन.**—(1) रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा नियम के सभी अधिकारी जो नियमित आधार पर इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व सेवा में विभिन्न श्रेणियां धारण कर रहे हों, नियमित आधार पर, यथास्थिति, अपने-अपने पद या श्रेणियों में सेवा के प्रारंभिक गठन पर सेवा के सदस्य बने रहेंगे।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व अपने-अपने तत्स्थानी श्रेणियों में ज्येष्ठता, पुष्टि, प्रोन्नति, अकृत्यिक उन्नयन के प्रयोजन और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाएगी।

7. **भविष्य में सेवा का अनुरक्षण.**—(1) सेवा की किसी श्रेणी में रिक्त पद इन नियमों के प्रारंभ पर ही और उसके पश्चात अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति में भरा जाएगा।

(2)(क) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार चयन सूची योग्यता क्रमवार तैयार की जाएगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन उस प्रकार किया जाएगा जैसा अनुसूची II में विनिर्दिष्ट है:

परन्तु जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों की भी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(ख) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I (ज्येष्ठ काल मान) की अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी पर नियुक्तियां, चयन समिति की, जिसका गठन उस प्रकार किया जाएगा, जो अनुसूची II में विनिर्दिष्ट है, सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

(3) प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए , विभिन्न पदों पर की जाने वाली सेवा के न्यूनतम वर्ष, अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

(4) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए तथा विभागीय प्रोन्नति के लिए कोटा अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट है।

(5) सीधी भर्ती की पद्धति द्वारा ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और आयु-सीमा अनुसूची III में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

(6) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति आयोग के परामर्श से की जाएगी।

8. **ज्येष्ठता.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व अवधारित रूप में उनकी अपनी-अपनी श्रेणियों में सापेक्ष ज्येष्ठता होगी:

परन्तु यदि सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व अवधारित की गई है तो इसे सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(2) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

9. **परिवीक्षा.**—(1) कनिष्ठ वेतनमान में सीधी भर्ती के माध्यम से अथवा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को सेवा में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा:

परंतु नियंत्रक प्राधिकारी, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि में वृद्धि कर सकता हैः

परन्तु आगे यह कि किसी परिवीक्षा अवधि को बढ़ाए जाने के संबंध में कोई निर्णय साधारणतः पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर ले लिया जाएगा और ऐसा किए जाने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को परिवीक्षा अवधि बढ़ाए जाने की सूचना लिखित रूप में उक्त अवधि के भीतर ही देनी होगी।

(2) परिवीक्षा की अवधि अथवा उसके बढ़ाए जाने की अवधि के पूरा हो जाने पर, यदि अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति के योग्य पाया जाए तो उन्हें अपनी नियुक्ति में नियमित आधार पर बनाए रखा जाए और उन्हें उपलब्ध स्थायी रिक्तियों पर, उचित समय पर, जैसा भी मामला हो, स्थायी कर दिया जाए।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि अथवा उसके बढ़ाए जाने की किसी अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के दौरान सरकार की यह राय हो कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है तो सरकार उस अधिकारी को सेवामुक्त अथवा उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले जिस पद पर कार्य कर रहा था, जैसा भी मामला हो, उसी पर वापस भिजवा सकती है।

(4) परिवीक्षा की अवधि अथवा इसके बढ़ाए जाने की किसी अवधि के दौरान उम्मीदवारों को सरकार द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण और अनुदेश के ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेना होगा और ऐसी परीक्षाओं और ऐसे परीक्षणों में (हिन्दी की परीक्षा सहित) सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी जिसे सरकार, परिवीक्षा की संतोषजनक समाप्ति के लिए उपयुक्त समझे।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवा के सदस्यों को सरकार द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों से अभिशासित होंगे।

10. **नियंत्रक प्राधिकारी.**—रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग), भारत सरकार, सेवा का नियंत्रक, प्राधिकारी होगा और सरकार के सर्वोत्तम लाभ के लिए सेवा से संबंधित अधिकारियों के विनियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

11. **भारत के किसी भाग में सेवा करने का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें –** (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत के भीतर या विदेश में कहीं भी सेवा के लिए दायी होंगे।

(2) अधिकारी, यदि प्रतिनियुक्त है, सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग में सेवा करने के लिए दायी होगा।

(3) सेवा का कोई सदस्य, यदि ऐसा अपेक्षित हो, तो चार वर्ष की अन्यून अवधि के लिए जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, यदि कोई हो, में व्यतीत अवधि भी है, कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा के लिए दायी होगाः

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति से,-

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात पूर्वोक्त रूप में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, और

(ख) 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पूर्वोक्त रूप में सेवा करने की सामान्यतः अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) सेवा में नियुक्त अधिकारी, अन्वेषण, विकास और गुणवत्ता आश्वासन कार्य या ऐसे अन्य कार्य की बाबत, जिसके लिए उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाए, फील्ड सेवा करने के लिए (जिसमें स्थल पर सेवा या वायुयान या नौसेना पोत आदि द्वारा यात्रा करना भी सम्मिलित है) दायी होगा।

(5) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या विदेश में ऐसा प्रशिक्षण लेने के लिए दायी होगा और वह ऐसे विस्तृत अनुदेश पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर विनिश्चत करे। विस्तृत प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्त अधिकारी, जो भारत के बाहर या भारत में निजी फर्म या कारखानों में, प्रशिक्षण की अवधि को विचार में लाए बिना, प्रशिक्षण का पूरा खर्च, उस दशा में वापस करने के लिए दायी होगी जब वह किसी भी कारण से प्रशिक्षण के दौरान या ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात, तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी सेवा समाप्त कर देना चाहता है।

12. **सेवा की अन्य शर्तें-** (1) इन नियमों में स्पष्ट तौर पर न दिए गए विषयों के संबंध में इस सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें इस सेवा के संबंध में सरकार द्वारा जारी किन्हीं विशेष आदेशों के अधीन तथा जहां तक हो सके भारत सरकार के अधीन ऐसे ही समान वैज्ञानिक संस्थानों या संगठनों में संगत प्रस्थिति के अधिकारियों (सिविलियन) पर

लागू शर्तों के समान होंगी। इस सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति का मसला समय-समय पर यथा संशोधित मूल नियम 56 द्वारा नियंत्रित होगा।

(2) आचरण और अनुशासन के विषय में, सेवा के अधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 द्वारा शासित होंगे।

(3) सेवा के अधिकारियों के लिए चिकित्सीय मानक वही होंगे जो सरकार के अधीन अन्य समान वैज्ञानिक संगठनों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदों के लिए है। विशेष दशाओं में, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग),स्वास्थ्य सेवांए महानिदेशालय के परामर्श से, स्वास्थ्य सेवा के इस मानक को शिथिल करने के लिए सक्षम होगा। जिन अधिकारियों के चयन में, सीमित क्षेत्र सेवा अंतर्वलित है उनकी यथाविहित विशिष्ट चिकित्सीय जांच, यथास्थिति, या तो चयन के समय या क्षेत्र सेवा के लिए जाने के समय, की जाएगी।

13. **अकृत्यिक उन्नयन (एन एफ यू) -** (क) जब कभी भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य अथवा संयुक्त काडर के अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10, 11, 12, 13, 14 और 15 वाली किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए केन्द्र में तैनात किया जाता है तो सेवा के बैचों से संबंधित अधिकारी, जो दो वर्षों या अधिक तक के लिए वरिष्ठ हैं और अभी तक उस विशिष्ट श्रेणी में उनकी प्रोन्नति नहीं की गई है उनको केन्द्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती की तारीख से, अनुसूची IV के अनुसार गठित की गई विभागीय खोजबीन समिति की संस्तुतियों पर अकृत्यिक आधार पर वही श्रेणी मंजूर की जाएगी।

(ख) उच्चतर वेतनमान मंजूर करने के लिए खोजबीन के समय सभी निर्धारित पात्रता मानदंड और प्रोन्नति के प्रतिमानकों जिनमें वेतन मैट्रिक्स में स्तर के किसी विशिष्ट लेवल पर उन्नयन के लिए बेंचमार्क सम्मिलित है, को पूरा करना होगा।

(ग) अकृत्यिक आधार पर उच्चतर वेतनमान मंजूर करने के लिए अन्य निबंधन और शर्तें इस विषय पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों और अनुदेशों के अनुसार होंगी।

14. **निरर्हता-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

15. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

16. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन की बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा।

17. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची-I

नियम 2(घ),3, 4, 5 और 7 देखें

रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा के अंतर्गत जिसमें समूह 'क' के पदों की संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, भर्ती की पद्धति, पात्रता और एक श्रेणी से अन्य में प्रोन्नति के लिए अन्य शर्तें भी सम्मिलित हैं:-

क्रम सं.	पद का नाम और वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	वह श्रेणी जिसमें प्रोन्नति अनुज्ञेय है और विहित न्यूनतम पात्रता अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	महानिदेशक (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15	01	चयन आधार पर प्रोन्नति द्वारा	अपर महानिदेशक (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) के अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 की श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वे अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' के पदों में पच्चीस वर्षों की नियमित सेवा की है जिसमें से कम से कम एक वर्ष की सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में हो।
2.	अपर महानिदेशक (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14	05	चयन आधार पर प्रोन्नति द्वारा	निदेशक या इसके समतुल्य अधिकारी जिन्होंने (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13) की श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या निदेशक की श्रेणी के वे अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' के पदों में सत्रह वर्षों की नियमित सेवा की हो जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 की श्रेणी में हो।
3	निदेशक (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) प्रकार्य वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13	32	चयन आधार पर प्रोन्नति द्वारा	वे अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' के पदों में तेरह वर्षों की नियमित सेवा की हो जिसमें से चार वर्षों की सेवा ज्येष्ठ काल मान और समतुल्य श्रेणी में हो जिसके अंतर्गत, वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 में की गई ज्येष्ठ कालमान के लिए अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी और समतुल्य नियमित सेवा, यदि कोई हो, सम्मिलित है; या वे अधिकारी जिन्होंने ज्येष्ठ काल मान और

				समतुल्य श्रेणी में नौ वर्षों की नियमित सेवा की हो जिसके अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 में की गई ज्येष्ठ काल मान के लिए अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी और समतुल्य नियमित सेवा सम्मिलित है, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4	ज्येष्ठ काल मान (अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी)/ प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (अकृत्यिक) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12	**	उपयुक्तता /योग्यता के अध्यधीन ज्येष्ठता आधार पर नियोजन द्वारा नियुक्ति	ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I (ज्येष्ठ काल मान, प्रकार्य) के वे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 की श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।
5.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I (ज्येष्ठ काल मान, प्रकार्य) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11	142$	चयन आधार पर प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी II (कनिष्ठ कालमान) के वे अधिकारी जिन्होंने श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है, और जो अनुसूची III में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी II (कनिष्ठ काल मान) के रूप में सीधी भर्ती के लिए यथाविनिर्दिष्ट अर्हता रखते हों।
6.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II (कनिष्ठ काल मान) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10	104	67% इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और 33% चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी के वे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 की श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास इंजीनियरी में डिप्लोमा या विज्ञान में डिग्री हों।

* 2017 में, कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

** ज्येष्ठ काल मान.—द्वितीय श्रेणी अकृत्यिक है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या ज्येष्ठ कर्तव्य पदों (अर्थात सेवा के ज्येष्ठ काल मान और अधिक के स्तर पर सभी कर्तव्य पद) के 30% के बराबर होगी और अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी में पदों की संख्या ज्येष्ठ काल मान श्रेणी में अनुमोदित पदों की संख्या तक सीमित होगी।

$ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी के पद भी सम्मिलित हैं।

टिप्पण:- वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II जो इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या धातु विज्ञान में डिग्री या विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य अर्हता रखते हैं वे भी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार करने के पात्र होंगे।

अनुसूची-II

[नियम 7(2) देखें]

(क) रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना:-

1. महानिदेशक:

(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष

(ii) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय	-	सदस्य
(iii) रक्षा मंत्रालय के किसी अन्य विभाग का सचिव	-	सदस्य

2. अपर महानिदेशक:

(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-	अध्यक्ष
(ii) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय	-	सदस्य
(iii) महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	-	सदस्य

3. निदेशक:

(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-	अध्यक्ष
(ii) संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, जो वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से संबंधित हो	-	सदस्य
(iii) महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	-	सदस्य

4. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I (ज्येष्ठ काल मान, प्रकार्य)

(i) अपर सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय	-	अध्यक्ष
(ii) संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय जो वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से संबंधित हो	-	सदस्य
(iii) महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	-	सदस्य

5 ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II:

(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-	अध्यक्ष
(ii) संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय जो वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से संबंधित हो	-	सदस्य
(iii) महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	-	सदस्य

(ख) ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II के पद पर पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति:

(i) महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	-	अध्यक्ष
(ii) प्रशासनिक रूप से संबद्ध उप सचिव या निदेशक, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय	-	सदस्य
(iii) अपर महानिदेशक (मुख्यालय) वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	-	सदस्य

(ग) ज्येष्ठ काल मान के अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अकृत्यिक) के लिए जांच समिति की संरचना:

(i) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय	-	अध्यक्ष
(ii) महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	-	सदस्य

(iii) संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय
जो वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से संबंधित हो - सदस्य

अनुसूची.—III

[नियम 7(5) देखें]

ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी II की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, तथा आयु सीमा।

(अ) एक अभ्यर्थी के पास :-

(क) केन्द्रीय या भारतीय राज्य विधान सभा के अधिनियम द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय से या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षिक संस्थाओं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन घोषित मानक विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए; या

(ख) इंजीनियर संस्थान (भारत) की परीक्षा संस्था के खण्ड 'क' और 'ख' में उत्तीर्ण होना चाहिए;या

(ग) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था से और ऐसी शर्तो के अंतर्गत जिन्हें सरकार समय-समय पर ऐसी शर्तों के अधीन इस प्रयोजन के लिए मान्य करे, इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए; या

(घ) इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार इंजीनियर्स (भारत) संस्था की स्नातक सदस्यता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; या

(च) एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की धारा 'क' और 'ख' के भाग-II और भाग-III की एसोशियेट सदस्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए; या

(छ) नवम्बर 1959 के पश्चात बाद आयोजित इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो इंजीनियर्स संस्था, लंदन की स्नातक सदस्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

आयु-सीमा : इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करना आवश्यक है और उसने परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को 30 वर्ष से ज्यादा आयु प्राप्त न की हो।

टिप्पण 1: आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित आयु-सीमा परिवर्तित हो सकती है।

टिप्पण 2 : वर्ष-दर-वर्ष से परीक्षा के लिए आयोग द्वारा यथा अधिसूचित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग और कतिपय अन्य प्रवर्गो के लिए ऊपरी आयु-सीमा शिथिल की जा सकती है।

अनुसूची.—IV

(नियम 13 देखें)

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11, 12, 13, और 14 में और उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी नियम 13 के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अकृत्यिक उन्नयन मंजूरी के लिए चयन समिति की संरचना :-

(क) उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में अकृत्यिक उन्नयन मंजूरी के लिए :-

(i) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष

(ii) रक्षा मंत्रालय के किसी अन्य विभाग का सचिव - सदस्य

(ख) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अकृत्यिक उन्नयन मंजूरी के लिए:- ,

(i) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष

(ii) अपर सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय - सदस्य

(iii) महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय - सदस्य

(ग) निदेशक, ज्येष्ठ काल मान की द्वितीय श्रेणी और ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I (ज्येष्ठ काल मान) श्रेणियों में अकृत्यिक उन्नयन मंजूरी के लिए:-

(i) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष

(ii) अपर सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय - सदस्य

(iii) महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय - सदस्य

[फा. सं. 60011/डी.जी.ए.क्यू.ए./65/2011/डी (एच.ए.एल.-III)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 3rd February, 2017

S.R.O. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Defence Aeronautical Quality Assurance Service Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short Title and Commencement.—**(1) These rules may be called the Defence Aeronautical Quality Assurance Service Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2**. Definitions.—**In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Controlling Authority" means the Ministry of Defence (Department of Defence Production) in the Government of India;

(c) "Departmental Promotion Committee" and "Departmental Confirmation Committee" mean the committees constituted under these rules, the details of composition of which is mentioned in Schedule II ;

(d) "Duty post" means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule I ;

(e) "Government" means the Government of India;

(f) "Grade" means any of the grades specified in Schedule-I;

(g) "Schedule" means Schedule annexed to these rules;

(h) "Scheduled Caste" and "Scheduled Tribes" shall have the meaning respectively assigned to them under clause (24) and clause (25) of Article 366 of the Constitution;

(i) "Other Backward Classes" shall have the same meaning and applicability as laid down in Department of Personnel and Training O.M. No.36012/22/93-Estt(SCT) dated 08th September, 1993.

(j) "Service" means the Defence Aeronautical Quality Assurance Service under rule 3.

(k) "regular service" means service rendered by the officer after they are appointed on regular basis either through the Commission or through promotion by duly constituted Departmental Promotion Committee and shall not include ad-hoc appointment.

3. **Composition of the Service.—**The Defence Aeronautical Quality Assurance Service shall be an Organised Group `A' Engineering Service comprising posts in the grades as specified in Schedule - I.

4. **Grades, authorised strength and its review.—**(1) The duty posts included in various grades in the Service, their number and Levels in the Pay Matrix, shall be as specified in Schedule I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.

(3) The Government may make temporary additions or deletions to the strength of the various grades as it may deem necessary from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-I or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) of this rule, to the appropriate grade of the Service in a temporary or substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade in accordance with the general orders and instructions issued by the Government from time to time.

5. **Members of Service.—**(1) The following persons shall be the members of the Service, namely;-

(a) persons holding the duty post in the grades specified in Schedule - I on regular basis on the date of commencement of these rules ;

(b) persons appointed to duty posts after the commencement of these rules from the date they are so appointed.

(2) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the relevant grade, applicable to him in Schedule - I from the date of such appointment, provided he has been appointed to the said post either by promotion or by direct recruitment mentioned in Schedule-I.

6. **Initial Constitution.—**(1) All officers borne on the Defence Aeronautical Quality Assurance Service rules holding various grades in the service immediately before commencement of these rules on regular basis shall continue to be members of the Service in the respective posts or grades on regular basis, as the case may be, at the time of initial constitution of the Service.

(2) The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1), prior to the publication of these rules in the respective corresponding grades shall count as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, Non-Functional Upgradation (NFU) and pension.

7. **Future Maintenance of the Service.—**(1) The vacant posts in any of the grades of the Service, on and after the commencement of these rules shall be filled in the manner as specified in Schedule-I.

(2)(a) For considering promotion of officers from one grade to another, the select list shall be prepared in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time to time. The composition of the Departmental Promotion Committee shall be as mentioned in Schedule-II :

Provided that where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service.

(b) The appointments to the Non-functional Second Grade for Senior Scientific Officer Grade-I (Senior Time-Scale) shall be made on the basis of the recommendations of the Screening Committee, the composition of which shall be as specified in Schedule-II.

(3) The minimum years of service to be rendered in various posts for the purpose of promotion shall be as specified in Schedule -I.

(4) The quotas for direct recruitment and departmental promotion shall be as specified in Schedule-I.

(5) The educational qualifications and age limit for appointment to the post of Senior Scientific Officer Grade-II by the method of direct recruitment shall be as specified in Schedule-III.

(6) Appointments to various grades of the Service shall be made in consultation with the Commission.

8. **Seniority.—**(1) The relative seniority of the members of the Service on the commencement of these rules shall be the relative seniority in their respective grades as determined before commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any member of the service had not been specifically determined before commencement of these rules, it shall be determined by the Government.

(2) The seniority of persons appointed to various grades of the service after commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time to time.

9. **Probation.—**(1) Every officer on appointment to the Service, either by direct recruitment or by promotion in Junior Scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probation period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in the due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and test (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation the members of the Service will be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

10. **Controlling Authority.—**The Ministry of Defence (Department of Defence Production), Government of India shall be the Controlling Authority of the service and shall be responsible for the deployment of the officers of the service to the best advantage of the Government.

11. **Liability to service in any part of India and other conditions of service.—**(1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) Officers, if deputed, shall be liable to serve in any other Ministry or Department of the Government.

(3) Any member of the Service shall, if so required, be liable to serve as a Commissioned Officer in the Armed Forces for a period of not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such a person,-

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment, and

(b) shall not ordinarily be required to serve aforesaid after attaining the age of forty years.

(4) Officers appointed to the Service shall be liable to field service (including service on land or travel by Service aircraft or Naval ships, etc.) in respect of investigation, development, indigenisation and quality assurance work or such other work to which they may be deputed.

(5) Officers appointed to the Service shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Competent Authority may decide from time to time. An officer detailed for training outside India or with a private firm or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

12. **Other conditions of service.—**(1) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall as far as and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers (Civilians) of corresponding status in similar scientific institutions or organisations under the Government of India. The matter of retirement of officers of the Service shall be governed by the Fundamental Rule 56, as amended from time to time.

(2) In the matter of conduct and discipline, officers of the Service shall be governed by the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964 and Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules 1965, as amended from time to time.

(3) Medical Standards of fitness for officers of the Service shall normally be the same as for scientists and technologists serving in other similar scientific organisations under the Government. In special cases, the Government of India in the Ministry of Defence (Department of Defence Production) shall, in consultation with the Directorate General of Health Services, be competent to grant relaxations. Officers selected for assignments involving limited field service shall undergo special medical check up as may be prescribed, either at the time of selection or when they proceed on field service, as the case may be.

13. **Non-functional upgradation (NFU).** - (a) Whenever any Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade in Level 10, 11, 12, 13, 14 and 15 in the Pay Matrix, the officers

belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, would be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officers in that particular grade at the Centre on the recommendations of the Departmental Screening Committee constituted in accordance with Schedule-IV.

(b) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular Level in the Pay Matrix would have to be met at the time of screening for grant of higher pay scale.

(c) The other terms and conditions for grant of higher pay scale on Non-functional basis shall be as per orders and instructions issued on the matter by the Central Government from time to time.

14. **Disqualifications.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. **Power to relax.—**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

16. **Interpretation.—**If any question relating to interpretation of these rules arise, it shall be decided by the Government.

17**. Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE – I

[See rules 2(d), 3, 4, 5 and 7]

Number and Level in the Pay Matrix of Group `A' posts included in the Defence Aeronautical Quality Assurance Service, method of recruitment, eligibility and other conditions prescribed for promotion from one grade to another

Sl. No.	**Name of Post and Level in the Pay Matrix**	**No. of Posts***	**Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**Grade from which Promotion is Permissible and the Minimum Eligibility Period Prescribed**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Director General (Higher Administrative Grade) Level 15 in the Pay Matrix	1	By promotion on selection basis	Officers in the grade of Additional Director General (Senior Administrative Grade) in Level 14 in the Pay Matrix with three years of regular service in the grade OR Officers with twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year regular service in the Senior Administrative Grade
2.	Additional Director General (Senior Administrative Grade) Level 14 in the Pay Matrix	5	By promotion on selection basis.	Officers in the grade of Director and equivalent (Level 13 in the Pay Matrix) with three years regular service in the grade OR Officers in the grade of Director with seventeen years regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year of regular service should be in the Level 13 in the Pay Matrix.
3.	Director (Junior Administrative	32	By promotion on selection basis	Officers with thirteen years of regular service in Group 'A' out of which regular service of four years in the grade of Senior Time-Scale and equivalent including the regular service, if any,

	Grade) Functional Level 13 in the Pay Matrix			rendered in the Non-functional Second Grade for Senior Time-Scale and equivalent in Level 12 in the Pay Matrix. OR Officers with nine years of regular service in the grade of Senior Time-Scale and equivalent including regular service, if any, rendered in the Non-functional Second Grade for Senior Time-Scale and equivalent in Level 12 in the Pay Matrix.
4.	Senior Time-Scale (Non Functional Second Grade)/ Principal Scientific Officer (Non- Functional) Level 12 in the Pay Matrix	**	Appointment by placement on Seniority basis subject to suitability/ fitness	Officers in Senior Scientific Officer Grade-I (Senior Time-Scale, Functional) in Level 11 in the Pay Matrix with five years regular service in the grade.
5.	Senior Scientific Officer Grade-I (Senior Time-Scale, Functional) Level 11 in the Pay Matrix	142$	By promotion on selection basis	Officers in Senior Scientific Officer Grade-II (Junior Time-Scale) in Level 10 in the Pay Matrix with four years regular service in the grade and possessing qualification as prescribed for direct recruitment for Senior Scientific Officer Grade-II (Junior Time Scale) in Schedule-III.
6.	Senior Scientific Officer Grade-II (Junior Time-Scale) Level 10 in the Pay Matrix	104	67% by the direct recruitment on the basis of Engineering Service Examination and 33% by promotion on selection basis.	Officers in the grade of Junior Scientific Officer in Level 8 in the Pay Matrix with two years regular service in the grade and possessing Diploma in Engineering or Degree in Science.

* In 2017 subject to variation dependent on workload

** The Senior Time Scale – Second Grade is Non-functional and the maximum number of posts in the grade shall be equal to 30% of the senior duty posts (i.e. all duty posts at the level of Senior Time-Scale and above in the service) and the maximum number of posts in the Non-functional Second Grade shall be limited to the number of posts sanctioned in Senior Time-Scale.

$ Also includes Non-functional Second Grade posts in Level 12 in the Pay Matrix.

Note : The Senior Scientific Officer Grade-II in Level 10 in the Pay Matrix possessing degree in Engineering or Technology or Metallurgy or Masters Degree in Science or equivalent qualification shall also be eligible for consideration for promotion to the post of Senior Scientific Officer Grade-I in Level 11 in the Pay Matrix.

SCHEDULE II

[See rule 7(2)]

(A) Composition of the Departmental Promotion Committee for appointment to the posts in the Defence Aeronautical Quality Assurance Service.

1. Director General:

(i) Chairman or Member, UPSC -Chairman

(ii) Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence -Member

(iii) Secretary from any other Department of Ministry of Defence -Member

2. Additional Director General:

(i) Chairman or Member, UPSC -Chairman

(ii) Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence -Member

(iii) Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance -Member

3. Director :

(i)	Chairman or Member, UPSC	-Chairman
(ii)	Joint Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence dealing with Directorate General of Aeronautical Quality Assurance.	-Member
(iii)	Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	-Member

4. Senior Scientific Officer Grade I (Senior Time-Scale, Functional):

(i)	Additional Secretary, Department of Defence Production Ministry of Defence	-Chairman
(ii)	Joint Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence dealing with Directorate General of Aeronautical Quality Assurance.	-Member
(iii)	Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	- Member

5. Senior Scientific Officer Grade II:

(i)	Chairman or Member, UPSC	-Chairman
(ii)	Joint Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence dealing with Directorate General of Aeronautical Quality Assurance.	-Member
(iii)	Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	-Member

(B) Departmental Confirmation Committee for considering confirmation in Senior Scientific Officer Grade-II:

(i)	Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	-Chairman
(ii)	Deputy Secretary or Director administratively concerned, Department of Defence Production, Ministry of Defence	-Member
(iii)	Additional Director General(HQ), Directorate General of Aeronautical Quality Assurance.	-Member

(C) Composition of the Screening Committee for Non-functional Second Grade for Senior Time Scale/ Principal Scientific Officer(Non-functional) :-

(i)	Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence	- Chairman
(ii)	Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	-Member
(iii)	Joint Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence dealing with Directorate General of Aeronautical Quality Assurance.	-Member

SCHEDULE III

[See rule 7(5)]

Minimum educational and other qualifications and age limit for direct recruitment to Senior Scientific Officer Grade II

A candidate must have :-

(a) Obtained a Degree in Engineering from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

(b) Passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India); or

(c) Obtained a Degree or Diploma in Engineering, from such foreign University or College or Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time; or

(d) Passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers (India); or

(e) Passed Associate Membership Examination Part II and Part III or Sections A and B of the Aeronautical

Society of India; or

(f) Passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London held after November, 1959.

Age Limit.—A candidate for Engineering Services Examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years as on the 1st of January of the year of Examination.

Note 1 : The prescribed age limit may vary in accordance with the notifications issued by the Commission.

Note 2 : The upper age limit is relaxable for Schedule Castes or Schedule Tribes or Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Commission for the examination from year to year.

SCHEDULE-IV

[See rule 13]

Composition of the Screening Committee for grant of non-functional upgradation to officers specified under rule 13 in the Levels 11, 12, 13 and 14 in the Pay Matrix and Higher Administrative Grade:-

(a) for grant of non-functional upgradation in Higher Administrative Grade :-

(i)	Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence	- Chairman
(ii)	Secretary from any other Department of Ministry of Defence	-Member

(b) for grant of non-functional upgradation in Senior Administrative Grade :-

(i)	Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence	-Chairman
(ii)	Additional Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence	-Member
(iii)	Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance or nominee	-Member

(c) for grant of non-functional upgradation in Director, Second Grade of Senior Time Scale and Senior Scientific Officer Grade-I (Senior Time Scale) grades:-

(i)	Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence	-Chairman
(ii)	Additional Secretary, Department of Defence Production Ministry of Defence	-Member
(iii)	Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance or nominee	-Member

[F. No. 60011/DGAQA/65/2011/D(HAL-III)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

[गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)]

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2017

का.नि.आ. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय (गुणता आश्वासन महानिदेशालय), गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना), आशुलिपिक श्रेणी.–II और श्रेणी.–III , समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2002 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी.–II और गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना), रक्षा मंत्रालय (डी जी क्यू ए) आशुलिपिक श्रेणी.–I, (समूह.–'ख' अराजपत्रित, पद) भर्ती नियम, 2003 के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना) में आशुलिपिक श्रेणी.–I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना), आशुलिपिक श्रेणी.–I, समूह 'ख', भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।